छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

-------

क्रमांक **ESTB-1/514/2025/20**-तीन, नवा रायपुर, दिनांक **08/05/2025**
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़।

विषयः- युक्तियुक्तकरण में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में विषय के क्रम के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भः- विभागीय निर्देश क्रमांक एफ **2-24/2024/20**-तीन, दिनांक **02.08.2024.**

------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित निर्देश में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विषय के क्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता हैः-

"पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पदांकन एवं स्थानांतरण विषयवार नहीं किया गया है। अतिशेष शिक्षक की गणना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित दर्ज संख्या के आधार पर किया जावे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है, कि किस शिक्षक को अतिशेष माना जायेगा, इस हेतु दिनांक **02.08.2024** को जारी पत्र के पैरा सातः- अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया- के **(B.)** पूर्व माध्यमिक शालाः- के बिन्दु क्रमांक **05** में स्पष्ट उल्लेख है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी विषय के अनुसार शिक्षकों का चिन्हांकन नहीं किया जा रहा है, बल्कि अतिशेष शिक्षक किसे माना जाये इस दृष्टि से एक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना आवश्यक था, इसलिए बिन्दु क्रमांक **05** का उल्लेख किया गया है, इसका अन्यथा और कोई कारण नहीं है।"

2/ कृपया उपरोक्तानुसार जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Rameshwar Prasad Verma
Date: 08-05-2025
17:26:55

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक ESTB-1/514/2025/20-तीन, नवा रायपुर, दिनांक 08/05/2025
प्रतिलिपि,

1. सचिव, छ.ग.शासन, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर।
4. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग.।
5. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. आर्डर फोल्डर।

Digitally signed by
Rameshwar Prasad Verma
Date: 08-05-2025
17:28:18

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग